

कार्यालय : बरेली विकास प्राधिकरण
विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर, पीलीभीत रोड, बरेली।

दिनांक सं: 934 मा०/का० बी० डी० ए०/2015

दिनांक : 2-5-15

स्वीकृति पत्र

बरेली विकास क्षेत्र की सीमा में भवन निर्माण विकास हेतु

श्रीमती कान्ता कपूर पत्नी श्री श्याम कपूर एवं
श्रीमती मन्जू रोहतगी पत्नी श्री राकेश कुमार रोहतगी
निवासी-218, 219 सिविल लाइंस, बरेली।
निर्माण स्थल- 218, 219 सिविल लाइंस, बरेली।

आपके मानचित्र सं०-85/02/जी०एच०/12 दिनांक 19-06-2012 के संदर्भ में उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 15-01-2015 के क्रम में निर्माण करने की अनुज्ञा निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। यदि आपके द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो सुसंगत विधिक कार्यवाही के साथ-साथ यह स्वीकृति भी निरस्त हो जायेगी, और निरस्तीकरण के कारण जो भी विवाद होगा उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

1. प्रस्तावित निर्माण स्वीकृत मानचित्र अनुसार एवं प्रयोजनार्थ किया जाना अनिवार्य है।
2. प्रस्तावित आवासीय भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के वर्तमान नियमों एवं विशिष्टियों के अनुरूप तथा भूकम्परोधी किया जाना अनिवार्य है।
3. महायोजना में प्रस्तावित भू उपयोग के विरुद्ध यदि नान-कनफार्मिंग उपयोग किसी भवन में चल रहा है या वह निर्माण भवन उपविधि/नियम/विनियम के विरुद्ध है तो ऐसी दशा में भी उस भवन में परिवर्तन परिवर्धन तथा मरम्मत कार्य अनुमत्य नहीं होगा।
4. भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने तथा निर्माण कार्य की समाप्ति की सूचना विकास प्राधिकरण को देना अनिवार्य है तथा प्राधिकरण से कार्य समाप्ति प्रमाण-पत्र तथा आक्यूपेन्सी प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक है।
5. भू-स्वामित्व निर्धारण करने का अधिकार प्राधिकरण का नहीं है अर्थात् प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने का अभिप्राय भू-स्वामित्व का निर्धारण करना नहीं है तथा इस सम्बन्ध में किसी भी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में इसका निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
6. प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति यदि प्रार्थी द्वारा सारवान व्ययदेशन (मिसरिप्रजेन्टेशन) या किसी कपट पूर्ण वक्तव्य या सूचना के आधार पर प्राप्त की है तो यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा इस अनुज्ञा के आधार पर किया गया कोई भी कार्य ऐसी अनुज्ञा के बिना किया गया समझा जायेगा अर्थात् अवैध होगा।
7. यदि प्रार्थी द्वारा कोई गलत सूचना दी गयी है तो उसके विरुद्ध अन्य कार्यवाही के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अन्तर्गत मुकदमा भी चलाया जा सकता है।
8. स्वीकृत मानचित्र की प्रति निर्माण स्थल पर सदैव रखना अनिवार्य है जिसे प्राधिकरण द्वारा अधिकृत अधिकारी निरीक्षण के दौरान देख सकें।
9. प्रस्तावित आच्छादन के अतिरिक्त कोई भी निर्माण किये जाने से पूर्व सभी देय शुल्कों के साथ प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।
10. पानी की निकासी एवं मल के निस्तारण की व्यवस्था समुचित ढंग से कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
11. प्रस्तुत स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर तथा पारित आदेशों (यदि कोई हों) के अधीन रहेगी एवं पक्ष द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. प्रस्तुत अभिलेख/भू-स्वामित्व सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
13. आवेदक को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करनी होगी यदि वह स्वयं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं करता है तो प्राधिकरण पक्ष के व्यय पर कार्य कराकर राजस्व बकाया की भौति वसूलने के लिए अधिकृत है।
14. निर्माण का उपयोग करने से पूर्व यह अवगत कराना होगा कि स्वीकृति पत्र एवं मानचित्र में जो भी शर्तें अंकित थीं, उनका अनुपालन कर लिया गया है अवगत कराते हुए सम्पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
15. पूर्णता प्रमाण-पत्र अध्यासन से पूर्व प्राप्त करना होगा।
16. निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना उसके पूर्ण अथवा किसी अंश का कोई उपयोग नहीं किया जायेगा।
17. आवेदक को भवन सामग्री अपने प्लाट में ही रखनी होगी।
18. निर्माण के समय स्थल पर आवेदक को मोटे अक्षरों में एक बोर्ड 2x3 फिट पर मानचित्र की छायाप्रति चस्पा कर स्थल के फ्रन्ट पर जो सड़क से दिखे, लगाकर अवश्य रखें।
19. स्वीकृत मानचित्र स्वीकृति पत्र में अंकित शर्तों के साथ ही वैध होगा।
20. निर्माण हेतु प्रदत्त अनुज्ञा मानचित्र निर्गत की दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिए ही वैध होगी। आवेदक द्वारा यदि निर्धारित पाँच वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि में प्रस्तावित निर्माण पूर्ण नहीं किया जाता है, तो उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व भू-स्वामी/आवेदक को नवीनीकरण की अनुमति निर्धारित शुल्क का भुगतान कर नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
21. प्रदत्त अनुज्ञा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अधीन रहेगी एवं पक्ष द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
22. अनुज्ञा के अधीन निर्माण प्रारम्भ करने पर उसकी सूचना विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-5) में आवेदक/भवन स्वामी द्वारा विकास प्राधिकरण को देना अनिवार्य तथा निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त भवन में अध्यासन से पूर्व निर्माण कार्य का पूर्णता/अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना भवन अथवा उसके किसी अंश का कोई उपयोग नहीं किया जायेगा।
23. प्रस्तावित निर्माण, सुसंगत भारतीय मानक संस्थान, नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 तथा बी०आई०एस० के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप संरचनात्मक सुरक्षा, भूकम्प रोधी व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा, प्रदूषण नियन्त्रण एवं अन्य संकटमय दृष्टिकोण से सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कराया जायेगा।
24. दिये गये शपथ पत्र दिनांक 22-04-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति संदर्भ सं०-367/एन०ओ०सी०-4512/14 दिनांक 28-06-14 में अंकित शर्तों का पालन किया जायेगा।
25. दिये गये शपथ पत्र दिनांक 22-04-15 के अनुसार कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या-2014/1018/बरेली/50/सी०एफ०ओ०/658 दिनांक 17-06-14 के अंकित शर्तों का पालन किया जायेगा।
26. प्रस्तावित भवन निर्माण के अन्तर्गत भवन निर्माण उपविधि-2008 एवं शासनादेश की अपेक्षाओं के अनुरूप सोलर पैंसिव प्रणाली की स्थापना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करनी होगी।
27. प्रस्तावित भवन निर्माण के अन्तर्गत भवन निर्माण उपविधि-2008 एवं शासनादेश की अपेक्षाओं के अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करनी होगी।
28. शासनादेश के अनुरूप स्थल पर कम से कम 25 वृक्षों का रोपण कराना अनिवार्य है।